

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी-

श्री घनश्याम शर्मा  
आर.ए.एस

मिसल संख्या

तारीख दायर

तारीख फैसला

07 / अपील / 2022

09.02.2022

28.06.2024

छोटूलाल आ. सावला जाति गुर्जर निवासी ग्राम सादेडा ग्राम पंचायत सादेडा  
तहसील नैनवा जिला बून्दी।

-अपीलान्त

**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी।

-रेस्पोजेन्ट

उपस्थित-

अपीलान्त की ओर से-श्री महेन्द्र जैन एड.

रेस्पोजेन्ट की ओर से-पेरोकार सरकार

### निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैनवा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 07.06.2010 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलाधीन नामान्तरकरण की भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में से 10 बिस्वा, खसरा संख्या 88 रकबा 6 बिघा, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सादेडा तहसील नैनवा का अपीलांत छोटू लाल द्वारा दिनांक 11.05.2010 को बैचाननामा धन्नी बाई के पक्ष में निष्पादित व पंजीयन करना बताकर उसका रजिस्ट्री के आधार पर इन्तकाल नंबर 466 स्वीकृत कर दिया था। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस में अवगत कराया कि अपीलान्त छोटूलाल द्वारा भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में से 10 बिस्वा, खसरा संख्या 88 रकबा 6 बिघा, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सादेडा तहसील नैनवा रजिस्ट्री दिनांक 11.05.2010 को एक बैचाननामा धन्नी बाई के पक्ष में निष्पादित व पंजीयन करना बताकर उसका रजिस्ट्री के आधार पर इन्तकाल नंबर 468 स्वीकृत कर दिया था, जिसमें भी त्रुटी से खसरा संख्या 51 की जगह खसरा संख्या 57 का इन्तकाल स्वीकृत कर दिया। अपीलांत को जानकारी होने पर उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने का वाद न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 बून्दी केम्प नैनवा में पेश हुआ वाद संख्या 45/2015 सी आई एस संख्या 357/14 उनवान छोटू लाल बनाम धन्नी बाई

गिराह पेश हुआ बाद सुनवाई अपीलान्ट का मुकदमें का निर्णय दिनांक 08.01.2021 को करते हुये उक्त विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2010 को निरस्त करने का आदेश दे दिया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील के तथ्यों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवगत की उक्त इंतकाल विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया था परन्तु मेरे द्वारा दिनांक 11.05.2010 को क्रेतागण के पक्ष में कोई विक्रय पत्र पंजीयन नहीं करवाया था तथा मेरी जानकारी के अनुसार श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के निर्णय दिनांक 08.01.2021 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी द्वारा उक्त विक्रय पत्र निरस्त करने के बाद तहसीलदार के यहां उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये इन्तकाल संख्या 468 को निरस्त करने के लिए निवेदन किया लेकिन तहसीलदार नैनवा द्वारा जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में यह कहा गया कि निर्णय में इन्तकाल निरस्त करने का आदेश नहीं है इन्तकाल की अपील करके निरस्त करावे। तब अपीलान्ट ने इन्तकाल की नकल हेतु आवेदन किया नकल दिनांक 28.01.2021 को प्राप्त हुयी अतः अपील अवधि मध्य पेश हैं। यदि फिर भी श्रीमान अपील पेश करने में विलम्ब मानते हैं तो विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 भा0मि0 अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2010 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 07.06.2010 को क्रेता के पक्ष में स्वीकृत हुआ था जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने विक्रय पत्र व नामान्तरकरण संख्या 466 के खिलाफ श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2, बून्दी केम्प नैनवा में वाद संख्या 39/2015 बउनवान छोटूलाल बनाम राजीबाई निर्णय दिनांक 08.01.2021 को किया गया था जिसमें विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2010 को निरस्त किया गया, जिसमें नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश पारित नहीं किया गया है। अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित हैं।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2010 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 07.06.2010 को क्रेता के पक्ष में स्वीकृत हुआ था उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाये जाने के हेतु अपीलान्ट द्वारा श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2, बून्दी में वाद संख्या 45/2015 बउनवान छोटूलाल बनाम धन्नी बाई प्रस्तुत किया जिसके निर्णय दिनांक 08.01.2021 से विक्रय पत्र दिनांक 11.05.2010 को निरस्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र निरस्त हो जाने से उक्त बैचान वैद्य नहीं रह जाता है, जिससे विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण निरस्त जाना उचित समझते हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील सारवान पाए जाने से अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 466 दिनांक 07.06.2010 ग्राम सादेडा तहसील नैनवा जिला, बून्दी को निरस्त किया जाता हैं। साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि वह सम्पूर्ण विधिक जांच कर नये

A 6/3

सरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल  
रफ्तार हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

67  
अति जिला कलेक्टर,  
बूंदी (माला)  
बूंदी